Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding need to acquire land of charitable organizations lying vacant for years and utilize it in public interest-Laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): आज देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे चेरीटेबल संस्थाओं की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें राज्य सरकार से समाज के उत्थान/ रचनात्मक कार्य हेतु सस्ती दर पर भूमि आवंटित की गई है, लेकिन उनके द्वारा आवंटित भूमि को सही तरह से उपयोग/रचनात्मक कार्यों में नहीं लाया गया है और भूमि रिक्त पड़ी हुई है। लेकिन, दूसरी ओर ऐसा वर्ग भी है, जिनके पास धन है, नई सोच है, ज्ञान और क्षमता है पर भूमि नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि ऐसे ट्रस्ट जिनके पास भूमि रिक्त पड़ी हुई है, उन्हें जनता को सुविधा देने के लिए 5 साल के अंदर विकास संबंधी/ रचनात्मक कार्यों को शुरू . करके पूरा करने की अवधि दी जाए और यदि ये ट्रस्ट ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो सरकार उनकी रिक्त पड़ी भूमि को सरकार भाव से एक्वायर करके दूसरी संस्थायें, जो वित्तीय क्षमता रखती हैं, उन्हें उस भूमि का आवंटन करना चाहिए, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को शैक्षणिक, आरोग्य, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा मिलना प्रारम्भ हो सके।